यह निरीक्षण प्रतिवेदन, अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम, निर्माण खंड, पौड़ी के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम, निर्माण खंड, पौड़ी के माह 06/2019 से 02/2021 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री हितेन्दर चिकारा, व. ले. प. द्वारा दिनांक 27/2/2021 से 06/03/2021 तक श्री वी॰ पी॰ सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संतोष कुमार गुप्ता स ले प अ एवं श्री देवेन्द्र कुमार दिवाकर स ले प अ के द्वारा दिनांक 17/06/2019 से 27/06/2019 तक श्री राजबहादुर व ले प अ के पूर्ण कालिक पर्यवेक्षण मे माह 04/2015 से माह 05/2019 तक के लेखा अभिलेखो पर आधारित थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 06/2019 से 02/2021 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा पेयजल योजनाओ से संबन्धित निर्माण के कार्य सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, जिला –पौड़ी गढ़वाल है।
3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2018-19	12.83	28.08	642.79	653.97	2487.74	2235.26	1.65	280.56
2019-20	1.65	280.56	464.82	461.03	396.12	649.37	5.44	27.31
2020-21 (02/21 तक)	5.44	27.31	317.20	298.64	929.77	873.00	24.00	84.08

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत (-) अधिक्य (+)
2018-19	-	-	-	-	-
2019-20	-	-	-	-	-
2020-21	जल जीवन मिशन	-	458.92	458.92	-

1. इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई की श्रेणी "बी" है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1) सचिव, पेयजल उत्तराखंड शासन।

(2) प्रबन्ध निदेशक, पेयजल निगम, देहरादून, उत्तराखंड।

(3) मुख्य अभियंता, गढ़वाल क्षेत्र, पौड़ी।

(4) अधीक्षण अभियंता, निर्माण मण्डल, देहरादून।

(5) अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, पेयजल निगम, पौड़ी ।

2. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम, पौड़ी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम, पौड़ी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2019 एवं 01/2021 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। तथा चिनवाड़ी डांडा पेयजल योजना का विस्तृत विश्लेषण किया गया जिसका प्रतिचयन लेखापरीक्षा अवधि मे अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

3. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा .....13....., लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

4. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में शून्य निरीक्षण किया गया।
5. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी नहीं की गई ।
6. फार्म 51: लागू नहीं है ।

खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 02/2021 के अन्त में (धनराशि रु मे)

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम... शून्य
(ख) सामग्री क्रय....शून्य
(ग) नगद परिशोधन....शून्य
(घ) निक्षेप.... शून्य
(ङ) भण्डार....शून्य

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः 1 - 37 पेयजल योजनाओं में अवमुक्त धनराशि से रू0 1711.03 लाख की धनराशि अधिक व्यय किया जाना एवं 07 पेयजल योजनाओं में स्वीकृत धनराशि से रू0 1236.28 लाख अधिक व्यय किया जाना।

Financial Hand Book Vol-VI Part III(a) Rule 51 "It is an object of great importance to close the accounts of works as soon as possible after the actual work of construction is completed.

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य संज्ञान में आये।

(क) कार्यालय की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि निम्नलिखित पेयजल योजनाओं में योजनाओं हेतु जनवरी 2021 तक अवमुक्त धनराशि से रू0 1711.03 लाख की धनराशि अधिक व्यय की गयी थी जिसका विवरण निम्नानुसार था।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	योजना का नाम	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय	अधिक व्यय की गयी राशि	भौतिक प्रगति
1.	बीरोखाल पम्पिंग योजना	413.560	377.100	383.630	6.530	प्रगति पर
2.	घुड़दौड़ी पेयजल योजना	69.880	20.000	21.132	1.132	प्रगति पर
3.	सबधरखाल–कांदेखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल येाजना	71.290	20.000	21.368	1.368	पूर्ण
4.	ज्वाल्पादेवी कफोल्स्यूं पटटी ग्रा0स0पं0पे0यो0	6.180	6.180	6.530	0.350	पूर्ण
5.	एकेश्वर स्रोत संवर्द्वन पेयजल योजना	493.460	233.230	267.609	34.379	प्रगति पर
6.	किमगड़ी योजना	263.300	44.000	45.405	1.405	पूर्ण
7.	गड़रीमल्ली योजना	130.270	21.000	28.286	7.286	प्रगति पर
8.	दौला सिरतोली योजना	138.890	72.050	78.275	6.225	प्रगति पर
9.	नौगांव (चलुणी) पेयजल योजना	86.830	44.000	65.506	21.506	पूर्ण
10.	ल्वीठा पेयजल योजना	52.280	31.000	38.275	7.275	पूर्ण
11.	बड़ेथ पेयजल योजना	76.330	40.500	61.023	20.523	पूर्ण
12.	कुठ पेयजल योजना	37.810	28.500	33.012	4.512	पूर्ण
13.	मासौ बाजार पेयजल योजना	26.080	22.080	23.750	1.670	पूर्ण
14.	ऐंठी पेयजल योजना	61.710	38.000	55.784	17.784	पूर्ण
15.	जजेड़ी सो0 पं0 पे0 योजना	73.190	30.000	41.054	11.054	प्रगति पर
16.	एकेश्वर श्रो0 सं0 अनुपूरक पेयजल योजना	199.520	98.000	125.807	27.807	प्रगति पर
17.	ग्रामीण डिग्गी पेयजल योजना (2015–16)	49.850	38.000	44.795	6.795	पूर्ण
18.	एकल पेयजल योजनाओं की विशेष मरम्मत	53.930	40.000	52.318	12.318	पूर्ण
19.	मुण्डनेश्वर ग्राम स0 पं0 पेयजल योजना	20.490	8.920	14.451	5.531	पूर्ण
20.	नकोट अरकण्डी पेयजल योजना	93.100	66.000	71.372	5.372	प्रगति पर
21.	एकल ग्राम विशेष मरम्मत 16–17 पे0 यो0	62.160	46.000	47.414	1.414	प्रगति पर
22.	हवीली सरकाणा पेयजल योजना	25.000	23.220	25.132	1.912	प्रगति पर
23.	लाई पेयजल योजना	48.670	37.670	40.848	3.178	प्रगति पर

24.	मरगुण रामपुर पेयजल योजना	36.590	20.000	23.387	3.387	प्रगति पर
25.	चोपड़ी पेयजल योजना	57.210	27.000	32.014	5.014	प्रगति पर
26.	नौडियालगांव पेयजल योजना	34.650	24.000	38.259	14.259	प्रगति पर
27.	बाघाट–बिलखेत पेयजल योजना	99.530	76.360	84.594	8.234	प्रगति पर
28.	गुराड़मल्ला सोलर पं0पे0योजना	64.890	9.500	14.802	5.302	प्रगति पर
29.	पोखरी पेयजल योजना	13.100	13.100	16.668	3.568	पूर्ण
30.	मैठाणा ग्राम योजना	240.300	240.300	249.705	9.405	पूर्ण
31.	चौबटटाखाल ग्रा0 स0 पं0 पे0 योजना	983.040	1014.960	1658.790	643.830	पूर्ण
32.	डाडा नागराजा ग्राम समूह पम्पिंग योजना	1229.140	1014.750	1771.310	756.560	पूर्ण
33.	इशोटी पेयजल योजना	56.880	50.260	56.879	6.619	पूर्ण
34.	भूमियाणा ग्राम समूह पम्पिंग योजना	74.770	8.230	12.108	3.878	प्रगति पर
35.	घिण्डीयाल	15.350	10.260	16.776	6.516	पूर्ण
36.	पाली असुरखेत पेयजल योजना	47.660	21.410	24.086	2.676	प्रगति पर
37.	किमगड़ी	46.900	35.610	40.067	4.457	पूर्ण
					1711.030	

इस प्रकार इकाई द्वारा उपरोक्त 37 पेयजल योजनाओं हेतु अवमुक्त धनराशि से रू0 1711.03 लाख की धनराशि अधिक व्यय की गयी थी जबकि इन 37 पेयजल योजनाओं में से 19 पेयजल योजनायें पूर्ण हो चुकी थीं।

(ख) उपरोक्त के अलावा जांच में यह भी पाया गया कि **उक्त 37 में से 07** निम्नलिखित योजनाओं पर योजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किया गया।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	**योजना का नाम**	**स्वीकृत धनराशि**	**व्यय**	**अधिक व्यय की गयी राशि**
1.	ज्वाल्पादेवी कफोल्स्यूं पटटी ग्रा0स0पं0पे0यो0	6.180	6.530	0.350
2.	नौडियालगांव पेयजल योजना	34.650	38.259	3.609
3.	पोखरी पेयजल योजना	13.100	16.668	3.568
4.	मैठाणा ग्राम योजना	240.300	249.705	9.405
5.	चौबटटाखाल ग्रा0 स0 पं0 पे0 योजना	983.040	1685.790	675.75
6.	डाडा नागराजा ग्राम समूह पम्पिंग योजना	1229.140	1771.310	542.17
7.	घिण्डीयाल	15.350	16.776	1.426
				1236.278

इस प्रकार इकाई द्वारा उपरोक्त 07 योजनाओं में स्वीकृत धनराशि से रू0 1236.28 लाख की धनराशि अधिक व्यय की गयी थी। जिससे स्पष्ट है कि इन योजनाओं पर दूसरी योजनाओं की धनराशि व्यावर्तत करके व्यय की गयी थी।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि भिन्नताओं की जांच कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

इस प्रकार 37 पेयजल योजनाओं में अवमुक्त धनराशि से रू0 1711.03 लाख की धनराशि अधिक व्यय करने एवं 07 पेयजल योजनाओं में स्वीकृत धनराशि से रू0 1236.28 लाख अधिक व्यय करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II (ब)

प्रस्तर: 2 - रु 138.89 लाख से निर्मित की जा रही पेयजल योजना के लक्ष्यो का अप्राप्त रहना तथा योजना पूर्ण/ हस्तांतरित न होने के कारण रु 4,24,800/- के राजस्व की हानि।

जिला योजना मद के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड थलीसैण की दौला एवं सिरतौली को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु दौला सिरतौली पेयजल योजना की रुपए 138.89 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उत्तराखंड शासन द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर 2015 को प्रदान की गयी थी। जिसके अंतर्गत 1 किलो लीटर क्षमता के 02, 3 किलो लीटर क्षमता के 01 एवं 12.5 किलो लीटर क्षमता के 02 जलाशय तैयार कर लगभग 123 परिवारों को स्वच्छ जल का लाभ प्रदान किया जाना था।

किन्तु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, पौड़ी के प्रश्नगत योजना से संबन्धित अभिलेखों की जांच (02/2021) मे पाया गया कि उक्त कार्य पूर्ण करने हेतु अधिशासी अभियंता, स्तर से वर्ष 2015-16 मे अनुबंध 15/EE/2015-16 रु 48.53 लाख, वर्ष 2019-20 मे अनुबंध 39/EE/2019-20 रु 19.75 लाख लागत का गठन किया गया, किन्तु इकाई की माह 01/2021 की मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार योजना पर रु 66.29 लाख का व्यय किए जाने के बावजूद अभी तक केवल 45 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण किया गया था। पेयजल योजना 04 वर्ष बाद भी अपूर्ण थी। दिनांक 01/8/2019 को अधूरी योजना ही निर्माण खंड श्रीनगर को हस्तांतरित की गयी। किन्तु योंजना अपूर्ण एवं विवादित होने के कारण श्रीनगर द्वारा उक्त पेयजल योजना दिनांक 08.08.2019 को पुन: निर्माण खंड पौड़ी को वापस कर दी गयी।वर्ष 2020-21 मे योजना पूर्ण करने एवं जलाशयो से विभिन्न ग्रामो के अंतर्गत वितरण प्रणाली तथा तत्संबंधी आदि कार्यो हेतु रु 24.54 लाख लागत का अनुबंध 50/EE/2020-21 श्री अमर सिंह के साथ गठित किया गया। जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 03.12.2020 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 02.02.2021 थी। किन्तु कार्य पूर्ण नही किया गया था न ही उससे संबन्धित कोई देयक भुगतान हेतु खंड मे अभी तक प्रस्तुत किया गया था।

2. योजना पूर्ण/हस्तांतरित न होने के कारण रु 4,24,800/- के राजस्व की हानि।

आगे अभिलेखो मे यह भी पाया गया कि दौला एवं सिरतौली पेयजल योजना में जिसके अंतर्गत 1 किलो लीटर क्षमता के 02, 3 किलो लीटर क्षमता के 01 एवं 12.5 किलो लीटर क्षमता के 02 जलाशय तैयार कर लगभग 123 परिवारों को स्वच्छ जल प्रदान किया जाना था। जिससे योजना से वर्ष 2017 से 1,06,200 प्रतिवर्ष राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। किन्तु समय पर पेयजल योजना का कार्यपूर्ण नहीं होने एवं हस्तांतरित न होने के कारण न केवल योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी अपितु संबन्धित राजस्व की वसूली भी नही की जा सकी थी। उससे होने वाले लाभ एवं स्वच्छ जल से स्थानीय जनता भी वंचित थी।योजना से वर्ष 2017 से 1,06,200 प्रतिवर्ष राजस्व की वसूली न होने के कारण चार वर्षो (2017, 2018, 2019 एवं 2020) मे लगभग **रु 424800/-** के राजस्व की हानि हुई।

उक्त प्रकरण को संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि निर्मित की जा रही पेयजल योजना विवादित होने के कारण पूर्ण नही की जा सकी है। योजना अभी पूर्ण नही हो पायी है। वर्तमान मे राजस्व की वसूली नही की जा रही है। योजना पूर्ण होने के बाद ही राजस्व की वसूली की जाएगी। इकाई के उत्तर से ही स्पष्ट है कि योजना अभी पूर्ण नही हो पाई है तथा न ही उससे राजस्व की वसूली की जा रही है।

अत: रु 138.89 लाख से निर्मित की जा रही पेयजल योजना के लक्ष्यो का अप्राप्त रहना तथा योजना पूर्ण/ हस्तांतरित न होने के कारण रु 4,24,800/- के राजस्व की हानि का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-3 : बिना भूमि अधिग्रहण के निर्माण कार्य पर निष्फल व्यय रु 28.28 लाख।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-06 के प्रावधान नियम 378 के अनुसार बिना भूमि अधिग्रहण किए हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक 584/xxvii (1) 2015 दिनांक 14 मई 2015 देहरादून दिनांक 4/7/2015 दिये गए दिशानिर्देशों के क्रम मे वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए जिला योजना के अंतर्गत पेयजल योजनाओ की तकनीकी जांच के उपरांत अनुदान संख्या 07 के अंतर्गत गदरी मल्ली पेयजल योजना रु 130.27 लाख की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति जिला अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी थी इस योजना की स्वीकृति की शर्त बिन्दु 3 के अनुसार अन्य सभी सक्षम एवं संबन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक था जिससे कि निर्माण कार्य मे किसी भी रूप मे अवरोध उत्पन्न न हो और ग्रामीण जनता को समय से इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

लेखापरीक्षा मे पाया गया कि - उपरोक्त पेयजल योजना को प्रारम्भ करने से पूर्व वनभूमि से संबन्धित स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी एवं निर्माण कार्य जनवरी 2015 मे प्रारम्भ किया गया था एवं इस कार्य पर रु 28.28 लाख राशि व्यय कर दी गयी थी इस निर्माण कार्य को स्वीकृति प्राप्त नहीं होने की वजह से वन विभाग द्वारा अवरुद्ध करवा दिया गया था विगत 5 वर्षो से अधिक समय से कार्य अवरुद्ध पड़ा था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने आपत्ति स्वीकार करते हुये अवगत कराया कि भविष्य मे वन विभाग से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही कार्य आरम्भ किया जाएगा।

अत: रु 28.28 लाख का व्यय नियमो के विरुद्ध किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण ।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
79/2005-06	1,2,3	1,2
27/2007-08	1,2	1,
33/2008-09	1,2,3,4,5	2,4,5,6,7
7/2011-12	1,2,3	1,5
31/2013-14	-	1
122/2015-16	1	1,2,3,4,5,6
24/2019-20	1	1,2,3,4,5
निर्माण खंड –II		
98/2005-06	-	1,2,
5/2009-10	1	1,3,4,
9/2011-12	1,2	1,2,
109/2012-13	-	1
105/2015-16	1,3,4,	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रस्तुत नहीं की गई।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम, पौड़ी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) चैक संख्या: 425875 द्वारा मैं° आर°के° इंजीनियर्स को रु 882690/- का भुगतान एवं चैक संख्या: 425881 द्वारा श्री दिनेश सिंह रावत को रु 300000/- का भुगतान माह 06/2019 में तथा चैक संख्या: 776473 द्वारा श्री अमर सिंह को रु 446774/- का भुगतान एवं चैक संख्या: 776974 द्वारा रु 418294/- का भुगतान माह 01/2021 को किया गया जिससे संबंधित बाऊचर लेखापरीक्षा को अप्रस्तुत।

2. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(1)	श्री पी सी गौतम	अधिशासी अभियंता

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम, पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे व. उप महालेखाकार / उप महालेखाकार ए एम जी-2, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित की जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSU)